



|| कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा ||

संभाग-दुर्ग

जिला पंचायत के सामने, जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.

phone : 0788-2212121

E-mail : jddurg18@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक / 1397 / मान्यता / नवीनीकरण / 2021

दुर्ग दिनांक 08 / 06 / 2021

छ.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय 03 के नियम 33 के उपनियम (1) के तहत निम्न अशासकीय विद्यालय को सत्र 2021-22 से 2022-23 तक दो वर्ष की अवधि के लिये अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई मान्यता नवीनीकरण प्रदान की जाती है।

क्र	विद्यालय का नाम	समिति का नाम	अनुमति स्तर	माध्यम	सत्र	बोर्ड
1	जे.एम.जे.नवजीवन स्कूल कौरिनभाठा, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव	सोसायटी ऑफ जीजस मेरी जोसफ	नर्सरी से 12वीं	अंग्रेजी	2021-22 से 2022-23	सी.बी. एस.ई.

शर्त :-

- 1 छ.ग. मा.शि. म. रायपुर के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 समिति के स्वयं का शाला भवन हो अथवा समिति शीघ्र भवन निर्माण करवाएँ तथा शाला भवन संचालित कक्षा संख्या के मान से पर्याप्त हो जिसमें शौचालय, मूत्रालय एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो।
- 3 हाई स्कूल के लिये 01 प्रायोगिक कक्षा एवं हायर सेकेण्डरी विज्ञान हेतु 03 प्रायोगिक कक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है।
- 4 शाला की दर्ज संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
- 5 शाला स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक विषय के मान से रचनाक्रम अनुसार की जावें।
- 6 शाला में शैक्षणिक प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण पाठ्यक्रम अनुसार पर्याप्त हो।
- 7 वित्तीय अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जावें।
- 8 प्रारंभिक कक्षा से कक्षा 12वीं तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूर्णतः पालन किया जावे।

08.6.21

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग दिनांक 08/06/2021

पृ.क्रमांक / 1398 / मान्यता / नवीनीकरण / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 3 संबंधित नोडल प्राचार्य डॉ.बी.पी.मि.शा.उ.मा.वि.बसंतपुर, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 4 प्राचार्य, जे.एम.जे.नवजीवन स्कूल कौरिनभाठा, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र के पूर्व शाला द्वारा उक्त प्रभावशील शर्तों की पूर्ति कर ली जावे अन्यथा आगामी सत्र में मान्यता पर विचार संभव नहीं होगा।

08.6.21

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग-दुर्ग (छ.ग.)